उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्याः-4095-औसं/2016-19(125)ए0एस0/2001 दिनांकः 13 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के त्रुटिपूर्ण विधुतीय अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्तियों व पशुओं की घातक एवं साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या-464-औसं/2016-19(125)ए0एस0/01 दिनांक 03.02.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2745-औसं/2016-19(125)ए0एस0/01 दिनांक 02.07.2016 के अनुक्रम में अनुग्रह धनराशि के पुनर्निधारण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 126वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार दैवीय आपदाओ हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अनुग्रह धनराशि निम्नवत पुनः निर्धारित की जाती है :-

(क) घातक मानवीय दुर्घटना में रू0 4.00 लाख के स्थान पर रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) दुधारू पशु

(अ) भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 16400/- के स्थान पर रू0 30,000/- अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) भेड़, बकरी, सुअर आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 1650/- के स्थान पर रू0 3,000/- अनुमन्य किया जायेगा।

(ग) दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु

(अ) ऊँट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 15,000/- के स्थान पर रू0 25,000/- अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) बछड़ा, गधा, खच्चर आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 10,000/- के स्थान पर रू0 16,000/- अनुमन्य किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व आदेश संख्या-4570-औसं/17/पाकालि/2004-19(51)ए0एस0/04, दिनांक 25.09.2004 आदेश संख्या-464-औसं/16-19(125)ए0एस0/01 दिनांक 03.02.2016 एवं आदेश संख्या-2745-औसं/ 2016-19(125)ए0एस0/01 दिनांक 02.07.2016 के अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

...2.../-

ELLE ACCIDENT